प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 58/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'एप्लीकेशन बेस्ड लाईनर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन (एएलटीडी) सेवाएं, जिसमें (मुफ्त विज्ञापन समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (फास्ट) सेवाएं भी शामिल हैं, के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु' जारी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली, 4 मई 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 6 अप्रैल 2026 को 'एप्लीकेशन बेस्ड लाईनर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन (एएलटीडी) सेवाए, जिसमें (मुफ्त विज्ञापन समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (फास्ट) सेवाएं भी शामिल हैं, के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु' एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 मई 2026 और प्रति टिप्पणियों के लिए 18 मई 2026 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोध जो कि इस आधार पर प्रस्तुत किए गए थे कि विचाराधीन विषय में जटिल तकनीकी, परिचालन और विनियामक पहलू शामिल हैं और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं सहित विस्तृत जांच की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 11 मई 2026 और 25 मई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विस्तार के लिए आगे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां, अधिमानतः advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष नंबर: +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
4/5/26

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा